प्ररूप सं. 27ग

[नियम 37ग देखिए]

कर का संग्रहण किए बिना माल अभिप्राप्त करने के लिए क्रेता द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उपधारा (1क) के अधीन की जाने वाली घोषणा

भाग I

जानकारी : माल	1. क्रेता का नाम (आवेदक)		2. क्रेता का पैन				
	3. फ्लैट/डोर/ब्लाक सं.	4. परिसर का नाम	5. *** प्रास्थिति (1 से 6 में से चुनें)				
	6. रोड/मार्ग/लेन	7. क्षेत्र/अवस्थिति	8. निर्धारित वार्ड/सर्किल				
			9. एओ कोड (जिसके अधीन अंतिम बार निर्धारण किया गया)				
	10. टाउन/शहर/जिला	11. राज्य	क्षेत्र कोड	एओ का प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.	
		12. पिन	13. अंतिम निर्धारण वर्ष जिसमें निर्धारण हुआ				
जानकारी : क्रेता	14. ई-मेल	15. टेलीफोन सं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल सं.	16. वर्तमान वार्ड/सर्किल				
			17. वर्तमान एओ कोड (यदि उपरोक्तानुसार नहीं है)				
	18. आयकर अधिकारिता का मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पूर्व में आयकर का निर्धारण नहीं हुआ है)		क्षेत्र कोड	एओ का प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.	
	19. कारबार/उपजीविका की प्रकृति		20. माल के उपयोग का प्रयोजन (सुसंगत बाक्स में टिक लगाएं)				
	21. माल की प्रकृति [धारा 206ग की उपधारा (1) की सारणी में निर्दिष्ट]		वस्तु या चीज का विनिर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन				
			शक्ति का उत्पादन				

....

** घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा/सत्यापन

*मैं/हम, ..., .यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कहा गया है। *मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि स्तंभ 21 में निर्दिष्ट माल व्यापार करने के प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। *मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि *मैं/हम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ में भारत के निवासी हैं।

स्थान : ....

तारीख : ....

....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग II

[उस व्यक्ति के प्रयोग के लिए, जिसे घोषणा प्रस्तुत की जाए]

<table>
<tr><td colspan="2">1. विक्रेता का नाम</td><td>2. विक्रेता का पैन</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td rowspan="2">4. विक्रेता का टैन</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. पूरा पता</td></tr>
<tr><td>5. ई-मेल</td><td>6. टेलाफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.</td><td>7. ***प्रास्थिति (1 से 6 में से चुनें)</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख (दिदि/मम/ववव)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">9. क्रेता द्वारा क्रेता के खाते में संदेय रकम नामे डालने की अथवा क्रेता से नकद रूप में अथवा चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदेय रकम की पावती की तारीख (दिदि/मम/ववव)</td></tr>
</table>

मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त ..... को अग्रेषित

स्थान : .....

तारीख .....

.....

स्तंभ 21 के भाग I में निर्दिष्ट
माल का विक्रय करने के समय कर का संग्रहण
करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

टिप्पण :-

1. घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
2. *जो लागू न हो, उसे काट दें।
3. **उस हैसियत का उल्लेख करें, जिसमें हिन्दू अविभक्त कुटुंब, एओपी, फर्म, कंपनी आदि की ओर से घोषणा की जाती है।
4. ***1. कंपनी; 2. फर्म; 3. एओपी/बीओआई, 4. हिन्दू अविभक्त कुटुंब, 5. व्यष्टिक, 6. अन्य।
5. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को स्वयं यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सत्य, सही और सभी प्रकार से पूर्ण है। घोषणा में मिथ्या करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्धि पर वह–

   (*i*) उस दशा में, जहां अपवचन किए जाने का ईप्सित कर पचीस लाख रुपए से अधिक है, छह मास से अन्यून अवधि के ऐसे कठोर कारावास से, जो सात वर्ष की अवधि का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा;

   (*ii*) किसी अन्य दशा में, तीन माह से अन्यून अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।